सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 धारा 3–ए, बी के अंतर्गत वांछित जानकारी विकास आयुक्त कार्यालय – विकास शाखा – 9 (गोकुल ग्राम प्रकल्प)

क्र.	विवरण	जानकारी
(i)	the particulars of its organisation, functions and duties;	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग गोकुल ग्राम प्रकल्प की आयोजना व क्रियान्वयन हेतु विभिन्न सहभागी विभागों से समन्वय के लिए समन्वयक विभाग है। गोकुल ग्राम प्रकल्प हेतु विभाग द्वारा नीति निर्देश जारी किये जाते हैं तथा अनुश्रवण भी किया जाता है। सहभागी विभागों की सूची परिशिष्ट – 1 पर है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में गोकुल ग्राम प्रकल्प हेतु संस्थागत व्यवस्था परिशिष्ट– 2 पर है।
(ii)	the powers and duties of its officers and employees;	गोकुल ग्राम प्रकल्प की आयोजना व क्रियान्वयन का अनुश्रवण तथा राज्य शासन द्वारा गोकुल ग्रामों में विकास कार्यों हेतु प्रदत्त राशि जिलों को स्वीकृत करना।
(iii)	the procedure followed in the decision making process, including channels of supervision and accountability;	विकास आयुक्त एवं अपर विकास आयुक्त के निर्देशन में कार्य संपन्न किया जाता है। नीतिगत विषयों पर माननीय मुख्यमंत्री जी को अनुमोदन भी लिया जाता है।
(iv)	the norms set by it for the discharge of its functions;	उपरोक्तानुसार
(v)	the rules, regulation, instructions, manuals and records held by it or under its control or used by its employees for discharging its functions;	जानकारी परिशिष्ट – 3 पर है।
(vi)	a statement of categories of documents that are held by it or under its control;	1. नीतिगत विषयों से संबंधित नस्तियां 2. राज्य शासन द्वारा बजट में प्रावधानित राशि को जिलों को जारी करने के संबंध में नस्तियां 3. जिलों से पत्राचार संबंधी नस्तियां 4. प्रगति पत्रक
(vii)	the particulars of any arrangement that exists for consultation with or representation by the members of the public in relation to the formulation of its policy or implementation thereof;	जिला स्तर पर जिला स्तरीय गोकुल ग्राम प्रकल्प समिति गठित की गई है, जिसके अध्यक्ष जिला कलेक्टर हैं।
(viii)	a statement of the boards, councils, committees and other bodies consisting of two or more persons constituted as its part or for the purpose of its advice and as to whether meetings of those boards, councils, committees and other bodies are open to the public, or the minutes of such meetings are accessible for public;	जानकारी परिशिष्ट – 3 पर संस्थागत व्यवस्था के अंतर्गत दी गई है।

(ix)	a directory of its officers and employees;	जानकारी परिशिष्ट – 4 पर है।
(x)	the monthly remuneration received by each of its officers and employees, including the system of compensation as provided in its regulations;	गोकुल ग्राम प्रकल्प का कार्य बिन्दु क्र.1 में उल्लेखित अधिकारियों द्वारा उन्हें सौंपे गये अन्य कार्यों के साथ ही संपादित किया जाता है। अतः इन्हें पृथक से कोई मानदेय नहीं दिया जाता।
(xi)	the budget allocated to each of its agency, indicating the particulars of all plans, proposed expenditures and reports on disbursements made;	राज्य शासन द्वारा गोदान योजना के क्रियान्वयन हेतु हितग्राहियों को Topping up Subsidy की राशि प्रदाय करने के लिए रू. 1453.00 लाख तथा अधोसंरचना विकास के कार्यों हेतु रू. 500.00 लाख का प्रावधान वित्तीय वर्ष 2005–06 में किया गया है। चालू वित्तीय वर्ष में यह संपूर्ण राशि व्यय होने का अनुमान है।
(xii)	the manner of execution of subsidy programmes, including the amounts allocated and the details of beneficiaries of such programmes;	गोकुल ग्रामों में गोदान योजना के लिए Subsidy प्रदान की जाती है। योजना का विवरण निम्नानुसार है :– • योजना के अंतर्गत गोकुल ग्रामों में बीपीएल वर्ग की महिला हितग्राहियों का चयन किया जाता है, जिन्हें 3 गायों की लघु डेयरी इकाई प्रदान की जाती है। • इकाई लागत का निर्धारण जिलों द्वारा अपने स्तर पर नाबार्ड द्वारा निर्धारित इकाई लागत, स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना एवं अन्य तत्सम योजनाओं के तहत निर्धारित लागत के आधार पर किया जाता है। • कुल लागत में से सामान्य वर्ग हेतु रू. 10,000 तथा SC/ST/OBC हेतु रू. 15,000 का अनुदान शासकीय योजनाओं (प्रमुखतः एस.जी.एस.वाय.) तथा राज्य शासन द्वारा दी जा रही Topping up Subsidy की राशि से दिया जाता है। • प्रदाय की जाने वाली डेयरी इकाई की लागत की शेष राशि बैंकों से ऋण के रूप में उपलब्ध कराई जाती है।
(xiii)	particulars of receipts of concessions, permits or authorisations granted by it;	संबंधित नहीं।
(xiv)	particulars of receipts of the information, available to or held by it, reduced in electronic form;	मासिक प्रगति
(xv)	the particulars of facilities available to citizens for obtaining information including the working hours of a library or reading room, if maintained for public use;	वर्तमान में कोई व्यवस्था नहीं है।

(xvi)	the names, designations and other particulars of the Public Information Officers;	निरंक
(xvii)	such other information as may be prescribed; and thereafter update these publications every year,	निरंक

गोकुल ग्राम प्रकल्प के अंतर्गत सहभागी विभागों की सूची

1. पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
2. लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
3. स्वास्थ्य विभाग
4. ऊर्जा विभाग
5. कृषि विभाग
6. स्कूल विभाग
7. पशुपालन विभाग
8. जल संसाधन विभाग
9. उच्च शिक्षा विभाग
10. सामान्य प्रशासन विभाग
11. सहकारिता विभाग
12. ग्रामोद्योग विभाग
13. महिला एवं बाल विकास विभाग
14. समाज सेवा एवं कल्याण विभाग
15. खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
16. अनुसूचित जाति, जनजाति कल्याण
17. मछली पालन विभाग
18. वन विभाग
19. राजस्व विभाग

परिशिष्ट – 2

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में गोकुल ग्राम प्रकल्प हेतु संस्थागत व्यवस्था

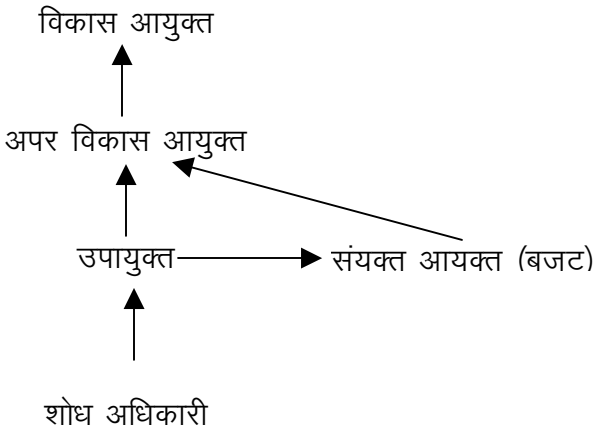

गोकुल ग्राम प्रकल्प की मार्गदर्शिका

i`"BHkwfe

ग्रामीण विकास के क्षेत्र में बिखरे स्वरूप में विकास कार्य होने के कारण अपेक्षित परिणाम नहीं मिल पाते हैं। इसलिए गांवों के समग्र विकास के लिए ग्रामीण विकास की ऐसी रणनीति की आवश्यकता है, जिसमें ग्रामीण विकास से जुड़े सभी विभागों की गतिविधियों को एक साथ क्रियान्वित किया जा सके। मध्यप्रदेश सरकार ने ग्रामीण विकास की रणनीति में बदलाव की इस जरूरत को महसूस किया है और समग्र ग्रामीण विकास के लिए गोकुल ग्राम प्रकल्प की अवधारणा पर काम शुरू किया है।

mn~ns';

स्वच्छ ग्रामीण परिवेश में मूलभूत आवश्यकताओं और आधारभूत अधोसंरचनाओं की ऐसी व्यवस्था करना, जिससे चयनित ग्राम का सामाजिक व आर्थिक विकास हो सके।

j.kuhfr

गोकुल ग्राम प्रकल्प के लिए ग्राम विकास से जुड़े 19 विभागों की विभिन्न गतिविधियों और सुविधाओं के संयोजन की सुविचारित और परिणाममूलक रणनीति के तहत कार्य किया जा रहा है। इस रणनीति के प्रमुख बिन्दु निम्नानुसार हैं :–

1. लक्ष्य आधारित विकास
2. विभिन्न विभागों के बीच संयोजन हेतु जिला स्तर एवं ग्राम स्तर पर सभी विभागों के अधिकारियों से युक्त एकीकृत संस्थागत व्यवस्था व इनके दायित्व निर्धारण
3. बेस लाईन सर्वेक्षण के आधार पर गांव की वास्तविक आवश्यकताओं व समस्याओं का आकलन
4. गांव की वास्तविक आवश्यकताओं व समस्याओं को ध्यान में रखकर विकास गतिविधियों और सुविधाओं का चयन कर ग्राम की समेकित विकास कार्य योजना बनाना
5. ग्राम समेकित विकास कार्य योजना का ग्राम सभा द्वारा अनुमोदन और गतिविधियों के क्रियान्वयन के लिए प्राथमिकता का निर्धारण
6. ग्राम की समेकित विकास कार्य योजना में शामिल गतिविधियों के क्रियान्वयन के लिए विभिन्न विभागों की योजनाओं तथा बजट में उपलब्ध राशि से वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराना और सघन क्रियान्वयन सुनिश्चित करना
7. ग्राम स्तर, जिला स्तर एवं राज्य स्तर पर सतत् अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण
8. सामाजिक अंकेक्षण
9. जनभागीदारी और जनसहयोग पर विशेष ध्यान
10. वर्तमान में चयनित गोकुल ग्रामों में चयनित गतिविधियों का क्रियान्वयन 1 वर्ष की समय सीमा में पूर्ण करना।

xksdqy xzke dSlk gksxk ---

1. ग्रामीण परिवेश कीचड़मुक्त हो एवं ग्रामीणों को स्वच्छ पर्यावरण मिले;
2. सभी ग्रामीणों के लिए शौचालय, आवासहीनों के लिए आवास तथा सामुदायिक उपयोग के भवनों का निर्माण हो सके;
3. ग्राम में आवागमन के लिए साफ सुथरी सड़कें हों;

4. ग्राम के सभी लोगों के लिए सुलभ स्वास्थ्य सेवायें उपलब्ध हो सकें, हर बच्चे का संपूर्ण टीकाकरण हो, मातृत्व सुरक्षा हेतु समुचित उपाय व व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके;
5. ग्राम के सभी व्यक्ति साक्षर हों व सभी बालक/बालिकायें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करें;
6. गांव में दैनिक जरूरतों व सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध हो और इसके लिए सभी व्यक्ति पानी की हर बूंद का ऐसा सदुपयोग करें, जिससे सूखे की परिस्थितियों का मुकाबला किया जा सके;
7. ग्राम में कृषि उत्पादन और उत्पादकता बढ़े;
8. ग्राम में सभी ग्रामीणों के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हो;
9. ग्राम में महिलाओं को आर्थिक व सामाजिक उन्नयन के अवसर उपलब्ध हों;
10. ग्राम में संसाधनहीन ग्रामीणों के लिए आय अर्जन की गतिविधियां ली जा सकें;
11. ग्राम में लोगों को सामाजिक न्याय व सामाजिक सुरक्षा मिले एवं निःशक्तजन मुख्य धारा में शामिल हों;
12. ग्राम में पशुधन और गौ नस्लों का विकास हो;
13. ग्राम में उर्जा के वैकल्पिक स्त्रोत अपनाये जायें;
14. ग्राम में सहकारी संस्थाओं की गतिविधियों का विस्तार हो;
15. ग्राम में भू–अभिलेखों का संधारण तथा नामांतरण व बंटवारे के मामलों का समय पर निराकरण हो;
16. ग्राम में प्राकृतिक संसाधनों जैसे जल, जंगल, जमीन का संरक्षण, संवर्धन व यथोचित प्रबंधन हो;
17. ग्राम में सामाजिक समरसता व सद्भाव का माहौल बने;
18. ग्राम के विकास में लोगों की अधिक से अधिक भागीदारी और सहभागिता प्राप्त की जा सके'
19. ग्राम में विभिन्न शासकीय विभागों की योजनाओं में आपस में तालमेल बिठाकर गांव के समेकित विकास के लिए सघन रूप से कार्य किये जा सकें।

xksdqy xzke ds lgHkkxh foHkkx

1. पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
2. कृषि विभाग
3. जल संसाधन विभाग
4. लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग
5. उर्जा विभाग
6. लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
7. महिला एवं बाल विकास विभाग
8. आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण विभाग
9. ग्रामोद्योग विभाग
10. सामाजिक न्याय विभाग
11. खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
12. स्कूल शिक्षा विभाग
13. पशुपालन विभाग
14. मत्स्य पालन विभाग
15. उच्च शिक्षा विभाग
16. सहकारिता विभाग

17. राजस्व विभाग
18. वन विभाग
19. सामान्य प्रशासन विभाग

ftyk Lrj ij laLFkkxr O;oLFkk D;k gksxh

जिला स्तर पर प्रत्येक जिले में ''जिला स्तरीय गोकुल ग्राम प्रकल्प समिति'' का गठन निम्नानुसार किया जाएगा :–

v/;{k ,oa uksMy vf/kdkjh – जिला कलेक्टर
lnL; lfpo – मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत
lnL; – सभी संबंधित विभागों के जिला स्तरीय प्रभारी अधिकारी, नाबार्ड के प्रतिनिधि तथा लीड बैंक अधिकारी
& गोकुल ग्राम परियोजना दल के दल प्रभारी
& गोकुल ग्राम हेतु नियुक्त नोडल अधिकारी

उक्त समिति गोकुल ग्राम प्रकल्प की विभिन्न गतिविधियों और सुविधाओं की आयोजना, क्रियान्वयन, वित्तीय नियोजन, समन्वय, अनुश्रवण तथा पर्यवेक्षण के लिए उत्तरदायी होगी।

xzke Lrj ij laLFkkxr O;oLFkk D;k gksxh

ग्राम स्तर पर 3–5 गोकुल ग्रामों के समूह हेतु सभी सहभागी विभागों के प्रक्षेत्र स्तर के अधिकारियों का एक ''गोकुल ग्राम परियोजना दल'' गठित किया जाएगा और इन्हीं अधिकारियों में से प्रत्येक गोकुल ग्राम हेतु एक–एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाएगा। इस दल के नेतृत्व हेतु पृथक से एक द्वितीय श्रेणी राजपत्रित अधिकारी को गोकुल परियोजना दल का दल प्रभारी भी नियुक्त किया जाएगा। दल प्रभारी के मार्गदर्शन व पर्यवेक्षण में नोडल अधिकारी गोकुल ग्राम परियोजना दल के सदस्यों के साथ समन्वय कर निम्न दायित्वों का निर्वहन करेंगे :–

- बेस लाईन सर्वेक्षण तथा आवश्यकताओं व समस्याओं का आकलन
- गतिविधियों और सुविधाओं का चयन
- चयनित गतिविधियों और सुविधाओं के क्रियान्वयन/उपलब्धता हेतु संबंधित विभाग/संस्था के माध्यम से वित्तीय नियोजन
- विभागवार कार्ययोजना तथा समेकित विकास कार्य योजना बनाना और इसमें शामिल गतिविधियों और सुविधाओं की स्वीकृति प्राप्त करना
- समेकित विकास कार्य योजना के अनुरूप संबंधित विभाग/संस्था के माध्यम से समयबद्ध तथा परिणाममूलक क्रियान्वयन व उपलब्धता सुनिश्चित करना
- गतिविधियों तथा सुविधाओं के क्रियान्वयन/उपलब्धता की प्रगति में रही कठिनाईयों के संबंध में कलेक्टर को अवगत कराकर निदान करवाना
- गोकुल ग्राम के नोडल अधिकारी अपने कार्य क्षेत्र में आने वाले ग्राम की मासिक प्रगति की विभागवार जानकारी संकलित कर जिला कलेक्टर को प्रत्येक माह में 2 बार क्रमशः 2 एवं 16 तारीख तक प्रस्तुत करेंगे। प्रगति का विवरण प्रस्तुत करने के लिए सहभागी विभागों द्वारा जारी विभागवार निर्देशों के साथ संलग्न मॉनिटरिंग प्रपत्र ही उपयोग किये जाएंगे।

xkao dh dk;Z ;kstuk dSls cukbZ tk;sxh

- प्रत्येक गोकुल ग्राम की आवश्यकताओं व समस्याओं के आकलन हेतु बेस लाईन सर्वेक्षण किया जाएगा
- बेसलाईन सर्वेक्षण में ग्राम में वर्तमान में उपलब्ध सभी संसाधनों, अधोसंरचनाओं, सुविधाओं तथा सेवाओं की वर्तमान स्थिति, इनके उपयोग का स्तर तथा कमी का पता लगाया जाएगा, जिससे गांव की आवश्यकतायें और समस्यायें पहचानी जा सकें
- गांव की जो आवश्यकतायें व समस्यायें चिन्हित की गई हैं, उनकी पूर्ति/निराकरण के लिए सहभागी विभागों की विभागवार गतिविधियों और सुविधाओं का चयन किया जाएगा
- चयनित गतिविधियों और सुविधाओं के क्रियान्वयन/उपलब्धता हेतु कितने वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता होगी व इसकी पूर्ति किस स्रोत से की जा सकेगी, यह भी निर्धारित किया जायेगा
- सांसद/विधायक निधि तथा जनभागीदारी निधि से वित्तीय नियोजन के विशेष प्रयास किये जाएंगे
- अपवादस्वरूप ऐसे मामले, जहां अधोसंरचना विकास का कार्य अति आवश्यक हो, किन्तु वित्तीय नियोजन नहीं हो पा रहा हो, ऐसे कार्यों के लिए ग्रामीणों द्वारा 25: जनसहभागिता उपलब्ध कराये जाने की स्थिति में अधिकतम रू. 1.00 लाख प्रति ग्राम के मान से राज्य शासन द्वारा वित्तीय सहायता प्रदाय की जा सकती है। ऐसे कार्यों के लिए कलेक्टर द्वारा सक्षम अधिकारी से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर प्रशासकीय स्वीकृति जारी की जावेगी एवं जिला स्तरीय गोकुल ग्राम प्रकल्प समिति के अनुमोदन उपरांत राशि की मांग हेतु प्रस्ताव सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को प्रेषित किये जाऐगें।
- उपरोक्त कार्यवाही के आधार पर प्रत्येक गोकुल ग्राम में विभागवार कार्य योजना बनाकर इसे एकजाई किया जाएगा, जो गोकुल ग्राम की समेकित विकास कार्य योजना कहलायेगी।
- समेकित विकास कार्य योजना में चयनित गतिविधियों और सुविधाओं के भौतिक तथा वित्तीय लक्ष्य स्पष्ट रूप से अंकित किये जाएंगे और इनके क्रियान्वयन/उपलब्धता को समय सीमा में सुनिश्चित करने के लिए वार्षिक कलेण्डर तैयार किया जाये, जिसमें प्रत्येक माह ली जाने वाली गतिविधियों का स्पष्ट उल्लेख किया जाये।
- ग्रामवार समेकित विकास कार्य योजना को विशेष रूप से बुलाई गई संबंधित ग्राम की ग्राम सभा की बैठक में अनुमोदित भी कराया जाएगा
- गतिविधियों और सुविधाओं के क्रियान्वयन/उपलब्धता के लिए प्राथमिकता क्रम भी निर्धारित किया जाएगा।

dk;Z ;kstuk esa 'kkfey xfrfof/k;ksa dh Lohd`fr rFkk fØ;kUo;u

- समेकित विकास कार्य योजना में शामिल प्रत्येक गतिविधि और सुविधा के संबंध में संबंधित विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा विभागीय प्रक्रिया व योजना के प्रावधानों का पालन करते हुए वित्तीय/प्रशासकीय/तकनीकी स्वीकृति जारी की जाएगी।
- पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की विभिन्न योजनाओं में गोकुल ग्रामों की कार्य योजना में शामिल गतिविधियों की स्वीकृति को प्राथमिकता दी जाएगी।
- इसके उपरांत कार्य योजना में शामिल गतिविधियों और सुविधाओं का क्रियान्वयन/उपलब्धता संबंधित विभाग/संस्था द्वारा निर्धारित समयावधि में सुनिश्चित किया जाए।

xzke lHkk dh LFkkbZ lfefr;ksa dh Hkwfedk D;k gksxh

गोकुल ग्राम परियोजना दल ग्राम की समेकित विकास कार्य योजना ग्राम विकास समिति के साथ व आवश्यक परामर्श कर तैयार करेगा। ग्राम विकास समिति क्रियान्वित की जा रही गतिविधियों व उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं की प्रगति का अनुश्रवण भी कर सकेगी। ग्राम निर्माण समिति उन्हें सौंपे गये दायित्वों के अनुरूप समेकित विकास कार्य योजना में शामिल निर्माण कार्यों का क्रियान्वयन भी कर सकती है, अन्यथा की स्थिति में ऐसे कार्यों का क्रियान्वयन संबंधित विभाग की योजना के प्रावधानों के अनुसार किया जा सकेगा।

lkekftd vads{k.k dSls fd;k tk,xk

सामाजिक अनुश्रवण हेतु प्रत्येक गोकुल ग्राम में सार्वजनिक स्थल पर एक मानचित्र भी तैयार किया जाए, जिसके एक भाग में क्रियान्वयन प्रारंभ होने से पूर्व ग्राम में कौन सी अधोसंरचनाऐं/सुविधाऐं उपलब्ध हैं तथा दूसरे भाग में क्रियान्वयन के फलस्वरूप कौन कौन सी अधोसंरचनाऐं/सुविधाऐं उपलब्ध कराई गई हैं, का स्पष्ट चित्रण व विवरण अंकित किया जाएगा।

tulgHkkfxrk o tutkx`fr

- गोकुल ग्रामों के विकास को केवल शासन के दायित्व के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। विभिन्न गतिविधियों के क्रियान्वयन के फलस्वरूप निर्मित होने वाली परिसम्पत्तियों और सुविधाओं के संवहनीय उपयोग के लिए स्थानीय ग्रामवासियों को जनसहभागिता प्रदाय करने के लिए प्रेरित किया जाए।
- विशेषकर सामुदायिक लाभ की गतिविधियों और सुविधाओं हेतु जनसहभागिता ली जानी चाहिए।
- जनसहभागिता धन, श्रम व सामग्री के रूप में ली जा सकती है। इस हेतु जनप्रतिनिधियों की भूमिका प्रेरक के रूप में अत्यंत ही महत्वपूर्ण होगी।
- गोकुल ग्राम में ली जाने वाली गतिविधियों तथा प्रदाय की जाने वाली सुविधाओं का लाभ सभी ग्रामीण प्राप्त करें, इसके लिए ग्रामीण समुदाय में पर्याप्त जनजागृति होना भी आवश्यक होगा। अतः ली जाने वाली प्रत्येक गतिविधि तथा प्रदाय की जाने वाली सुविधाओं की समुचित जानकारी ग्रामीणों को दी जाए।

lapkyu] la/kkj.k o j[k j[kko

गोकुल ग्रामों में क्रियान्वित की गई गतिविधियों के फलस्वरूप निर्मित परिसम्पत्तियों/संरचनाओं और उपलब्ध कराई गई सुविधाओं तथा सेवाओं का यथोचित संचालन, संधारण व रख रखाव भी आवश्यक होगा, ताकि ग्रामीणजन इनका लाभ लंबे समय तक प्राप्त करते रहें।

iapk;r ,oa xzkeh.k fodkl foHkkx dh xfrfof/k;ka

1- foHkkx dh Hkwfedk %

(i) ग्रामीण अधोसंरचना को मजबूती प्रदाय करने के लिए टिकाऊ परिसम्पत्तियों का सृजन करना
(ii) कृषि एवं गैर कृषि आधारित गतिविधियों के लिए आवष्यक जरूरतों व सुविधाओं की व्यवस्था करना
(iii) आय के वैकल्पिक स्रोतों का सृजन

2- foHkkx }kjk yh tk ldus okyh xfrfof/k;ka rFkk foRrh; lalk/ku ds Lkzksr %

I) **ty laj{k.k o loa/kZu ,oa lw[ks dh ifjfLFkfr;ksa ls fuiVus dh {kerk fodflr djuk%**

(i) नये तालाबों, बावड़ियों, कुओं तथा नलकूपों का निर्माण
(ii) जल के पारम्परिक स्त्रोतों का संरक्षण व संवर्धन, विशेषकर पुराने तालाबों, बावड़ियों तथा कुओं का संरक्षण व जीर्णोद्धार
(iii) पेयजल स्त्रोतों का जीर्णोद्धार
(iv) शासकीय एवं सामुदायिक भूमि पर कंटूर ट्रेंच व गली प्लगिंग
(v) नालों पर सतही जल संग्रहण के लिए चेक डेम/बोरी बंधान/नाला बंधान का निर्माण
(vi) भूजल संवर्धन हेतु परकोलेशन तालाब, कुआं रिचार्ज आदि गतिविधियां
(vii) खेतों में बारिश के पानी को रोकने के लिए मेढ़ बंधान, कुइया/कुण्डी, डबरा/डबरी/फार्म पॉण्ड, कुआं रिचार्ज आदि गतिविधियां
(viii) लघु एवं सीमांत कृषकों के लिए लघु सिंचाई
(ix) सामुदायिक जल संग्रहण संरचनाओं से पानी का समुचित वितरण एवं इस हेतु आवश्यक व्यवस्थायें उदाहरणस्वरूप फील्ड चैनल, ड्रेन्स आदि।

(**laHkkfor foRrh; Lkzksr** & संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, डी.पी.आई.पी. योजना, राष्ट्रीय सम विकास योजना, मध्यप्रदेश ग्रामीण आजीविका परियोजना, जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन मिशन, काम के बदले अनाज योजना के प्रावधानों व निर्धारित मापदण्डों के अनुसार)

II) **xzkeh.k lM+d fodkl o foLrkj %**

(i) ग्रामों के आंतरिक मार्ग
(ii) ग्रामीण पहुंच मार्ग

(**laHkkfor foRrh; Lkzksr** & संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, राष्ट्रीय सम विकास योजना, काम के बदले अनाज योजना, ग्राम पंचायत स्तर पर लघुमूल कार्यों हेतु प्रदाय की जाने वाली राशि, वित्त आयोग तथा प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना (केवल ग्रामीण पहुंच मार्ग हेतु) के प्रावधानों व निर्धारित मापदण्डों के अनुसार)

II) **LoPN xzkeh.k ifjos'k %**

(i) गांव में पानी की निकासी के लिए U तथा V आकार की नालियों का निर्माण
(ii) स्वच्छ शौचालय एवं धुआं रहित चूल्हा

(**laHkkfor foRrh; Lkzksr** – संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, राष्ट्रीय सम विकास योजना, ग्राम पंचायतों के स्तर लघुमूल कार्यों की राशि, इंदिरा आवास योजना/प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के प्रावधानों व निर्धारित मापदण्डों के अनुसार)

III) **xzkeh.k v/kkslajpuk fodkl %**

(i) ग्रामीण आवास
(ii) शाला भवन, शालाओं में किचन शेड, अस्पताल, पंचायत भवन तथा हाट बाजार
(iii) किसी स्वरोजगार योजना के लिए अधोसंरचना अथवा वर्कशेड

(**laHkkfor foRrh; Lkzksr** – इंदिरा आवास योजना/प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना – केवल ग्रामीण आवास हेतु, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना तथा राष्ट्रीय सम विकास योजना के प्रावधानों व मानदण्डों के अनुसार)

IV) **vk; ds oSdfYid Lkzksrksa dk l`tu %**

(i) गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के लिए स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण तथा आयमूलक गतिविधियों का क्रियान्वयन

(ii) लघु एवं सीमांत कृषकों के लिए उद्‌वहन सिंचाई

(iii) स्वसहायता समूहों की आयमूलक गतिविधि हेतु अधोसंरचना व्यवस्था

(**laHkkfor foRrh; Lkzksr** & संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, डी.पी.आई.पी. योजना, मध्यप्रदेश ग्रामीण आजीविका परियोजना, जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन मिशन तथा राष्ट्रीय सम विकास योजना के प्रावधानों व निर्धारित मापदण्डों के अनुसार)

V) **okfudh rFkk m|kfudh fodkl %**

(i) वनीकरण, उद्यानिकी व चारा उत्पादन (विशेषकर शासकीय व सामुदायिक पड़त भूमि पर)

(**संभावित वित्तीय स्रोत** – संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, डी.पी.आई.पी. योजना, मध्यप्रदेश ग्रामीण आजीविका परियोजना, जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन मिशन तथा राष्ट्रीय सम विकास योजना के प्रावधानों व निर्धारित मापदण्डों के अनुसार)

VI) **ÅtkZ ds oSdfYid Lkzksrksa dk l`tu %**

(i) ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत हेतु बायो गैस

(**laHkkfor foRrh; Lkzksr** & संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, डी.पी.आई.पी. योजना, मध्यप्रदेश ग्रामीण आजीविका परियोजना तथा राष्ट्रीय सम विकास योजना के प्रावधानों व मानदण्डों के अनुसार)

yksd LokLF; ,oa ifjokj dY;k.k foHkkx dh xfrfof/k;k

1- foHkkx dh Hkwfedk %

गोकुल ग्रामों में आम जनता को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधायें उपलब्ध कराना और स्वास्थ्य के स्तर में सुधार हेतु आवश्यक कार्य करना।

2-foHkkx }kjk yh tk ldus okyh xfrfof/k;ka rFkk foRrh; lalk/ku ds Lkzksr %

1. प्रत्येक तीन माह में एक बार सभी रहवासियों का स्वास्थ्य परीक्षण तथा प्रत्येक परिवार के लिए परिवार स्वास्थ्य कार्ड बनवाना।
2. उक्त स्वास्थ्य परीक्षण के आधार पर बीमार व्यक्तियों को उचित किचकित्सकीय परामर्श, जांच व यथोचित उपचार।
3. **tuuh lsok ;kstuk** के तहत शत–प्रतिशत गर्भवती महिलाओं की कम से कम तीन बार प्रसव पूर्व जांच, प्रसव पूर्व सेवाओं का प्रदाय तथा पोषण एवं स्वास्थ्य के संबंध में परामर्श तथा प्रसव के पूर्व की आवश्यक तैयारियों के विविध पहलुओं के संबंध में समझाईश।
4. जटिल प्रसव वाली माताओं को एफ.आर.यू. में प्रसव कराने हेतु प्रेरित करना।
5. **izlo gsrq ifjogu ,oa mipkj ;kstuk** से सभी पात्र गर्भवती महिलाओं को लाभान्वित करना।
6. गर्भवती माताओं तथा सभी बच्चों का समय पर **laiw.kZ Vhdkdj.kA**
7. स्तनपान कराने वाली माताओं को स्वयं तथा शिशुओं के स्वास्थ्य एवं पोषण के संबंध में समझाईश।

8. शिशु के जन्म के प्रथम सप्ताह में महिला बहुउद्देशीय कार्यकर्ता द्वारा 3 बार गृह भेंट कर नवजात शिशु की स्वास्थ्य जांच एवं देखभाल के संबंध में समझाईश।
9. समस्त गर्भवती, धात्री माताओं एवं 6 वर्ष तक के बच्चों की आंगनवाड़ी केन्द्र पर बहुउद्देशीय कार्यकर्ताओं द्वारा प्रतिमाह स्वास्थ्य जांच एवं रेफरल बाबत् आवश्यक कार्यवाही।
10. परिवार नियोजन के संबंध में समुदाय की आवश्यकता का सर्वेक्षण एवं तद्नुसार पूर्ति की सहज सुलभता सुनिश्चित करना।
11. **nhun;ky vaR;ksn; mipkj ;kstuk** के तहत समस्त पात्र परिवारों को स्वास्थ्य कार्ड प्रदाय करना।
12. सभी किशोरी बालिकाओं को अनुशंसित मात्रा में **vk;ju Qksfyd ,flM dh xksfy;ksa dk forj.k** करना।
13. गोकुल ग्रामों में बच्चों की डी–वार्मिंग डोज प्राथमिक विद्यालय/आंगनवाड़ी के माध्यम से दिलवाना।
14. प्रत्येक गोकुल ग्राम में न्यूनतम दो डिपो होल्डर बनाकर ओ.आर.एस. तथा अन्य जीवनरक्षक दवाईयों की समुचित उपलब्धता सुनिश्चित करना।
15. प्रसव के लिए प्रशिक्षित दाई की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
16. ग्राम से संबंधित उप स्वास्थ्य केन्द्र स्तर पर बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की नियमित उपलब्धता व निर्धारित दौरा कार्यक्रम अनुसार उनका भ्रमण सुनिश्चित कर उन्हें सौंपे गये दायित्वों का समुचित निर्वहन सुनिश्चित करना।
17. जिन गोकुल ग्राम में उपस्थ्य केन्द्र हैं, वहां उनकी नियमित साफ–सफाई व स्वच्छता तथा इन स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सकों की माह में 1 बार नियत दिवस को उपस्थिति सुनिश्चित करना।
18. सभी राष्ट्रीय कार्यक्रमों एवं योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित कर शत–प्रतिशत पात्र व्यक्तियों को लाभान्वित करना।

(**laHkkfor foRrh; Lkzksr** & विभागीय बजट एवं सामुदायिक स्वास्थ्य मिशन)

yksd LokLF; ;kaf=dh foHkkx dh xfrfof/k;ka

1- foHkkx dh Hkwfedk %

गोकुल ग्रामों में आम जनता को पेयजल सुविधाओं तथा स्वच्छता हेतु अधोसंरचनात्मक व्यवस्थायें उपलब्ध कराना।

2- foHkkx }kjk yh tk ldus okyh xfrfof/k;ka rFkk foRrh; lalk/ku ds Lkzksr %

1. गतिवर्धित ग्रामीण जल प्रदाय कार्यक्रम के अंतर्गत बसाहटों में पेयजल व्यवस्था।
2. गतिवर्धित ग्रामीण जल प्रदाय कार्यक्रम के अंतर्गत शालाओं में पेयजल व्यवस्था।
3. गतिवर्धित जल प्रदाय कार्यक्रम के अंतर्गत भू–जल गुणवत्ता प्रभावित ग्रामों में पेयजल व्यवस्था।
4. गतिवर्धित ग्रामीण जल प्रदाय कार्यक्रम के अंतर्गत भू–जल संवर्धन कार्यक्रम।
5. हस्तचलित पंप का संधारण एवं सुधार।
6. समग्र स्वच्छता कार्यक्रम के अंतर्गत व्यक्तिगत शौचालय का निर्माण।
7. समग्र स्वच्छता कार्यक्रम के अंतर्गत शालाओं में स्वच्छता परिसर का निर्माण।

8. समग्र स्वच्छता कार्यक्रम के अंतर्गत सामुदायिक स्वच्छता परिसर का निर्माण।
9. आवासीय परिसरों से निकलने वाले गंदे पानी के निपटारे के लिए जनसहभागिता से सोक पिट का निर्माण

(**laHkkfor foRrh; Lkzksr** & विभागीय बजट और स्वजल धारा योजना)

ad`f"k foHkkx dh xfrfof/k;ka

1- foHkkx dh Hkwfedk %

गोकुल ग्रामों में सुनिश्चित कृषि उत्पादन, बेहतर कृषि आदानों, उद्यानिकी विकास हेतु कार्य करना।

2- foHkkx }kjk yh tk ldus okyh xfrfof/k;ka rFkk foRrh; lalk/ku ds Lkzksr %

1. बीज प्रतिस्थापन दर में वृद्धि
2. बीज उत्पादन कार्यक्रम
3. सूखे का मुकाबला करने वाली फसलों व इनकी प्रजातियों को प्रोत्साहन व इस संबंध में ग्रामीणों को समझाईश
4. लघु एवं सीमांत कृषकों के लिए सिंचाई के लिए समुचित व्यवस्था
5. जैविक खेती को प्रोत्साहन
6. औषधीय पौधों की खेती को प्रोत्साहन
7. उन्नत कृषि यंत्रों के उपयोग को प्रोत्साहन
8. किसानों को स्वयं के खेत में जल संरक्षण व संवर्धन की गतिविधियों के लिये प्रेरित करना
9. पानी के समुचित उपयोग की प्रणालियों जैसे टपक सिंचाई पद्धति का प्रचार प्रसार
10. गांवों के कचड़े व अन्य अपशिष्ट से नाडेप टांका निर्माण
11. उद्यानिकी विकास को प्रोत्साहन
12. कृषक प्रशिक्षण
13. बायोगैस निर्माण को प्रोत्साहन
14. कृषकों के आवासों के समीप/बाड़ी में किचन गार्डन का विकास

(**laHkkfor foRrh; Lkzksr** & फसल उत्पादन समूह की विभिन्न योजनायें, लघु सिंचाई व लघुतम सिंचाई योजना, मेक्रोमैनेजमेंट एवं आइसोपाम्प योजना, राष्ट्रीय जलग्रहण क्षेत्र विकास कार्यक्रम, उद्यानिकी विकास योजना, बायोगैस योजना)

ty lalk/ku foHkkx dh xfrfof/k;k

1- foHkkx dh Hkwfedk %

गोकुल ग्रामों में सिंचाई सुविधाओं का विस्तार

2- foHkkx }kjk yh tk ldus okyh xfrfof/k;ka rFkk foRrh; lalk/ku ds Lkzksr %

1. नये तालाबों का निर्माण
2. पुराने तालाबों का जीर्णोद्धार
3. ऐसे गोकुल ग्राम जहां विभागीय योजनाओं से सिंचाई सुविधा उपलब्ध है, वहां सिंचाई प्रणाली का उचित रख रखाव व संचालन

(**laHkkfor foRrh; Lkzksr** & विभागीय बजट व प्रचलित योजनाओं से)

Ldwy f'k{kk foHkkx dh xfrfof/k;k

1- foHkkx dh Hkwfedk %

गोकुल ग्रामों में स्कूल शिक्षा के विस्तार, शिक्षा के स्तर में गुणात्मक सुधार तथा शालेय अधोसंरचनात्मक व्यवस्थाओं में सुधार हेतु कार्य करना।

2- foHkkx }kjk yh tk ldus okyh xfrfof/k;ka rFkk foRrh; lalk/ku ds Lkzksr %

1. 5 –14 आयु वर्ग के शाला जाने योग्य सभी बालक/बालिकाओं का शालाओं में प्रवेश
2. शाला अप्रवेशी/शाला त्यागी बच्चों के लिए सेतु पाठ्यक्रम (ब्रिज कोर्स) का संचालन
3. शालाओं में दर्ज विद्यार्थियों की नियमित उपस्थिति
4. बालिका शिक्षा हेतु विशेष ध्यान व इसके लिए अभिभावकों को प्रेरित करना
5. पालक शिक्षक संघ का प्रशिक्षण एवं सौंपे गये दायित्वों के निर्वहन क लिए सशक्त बनाना
6. मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम की परिवर्तित व्यवस्था का सुचारू क्रियान्वयन।
7. कक्षा – V व कक्षा VIII के विद्यार्थियों का परीक्षा परिणाम 100% सुनिश्चित करने हेतु नियोजन
8. विद्यार्थियों के अनुपात के अनुसार शिक्षकों एवं कक्षों की व्यवस्थाशालाओं में शिक्षकों की नियमित उपस्थिति
9. प्रत्येक शाला में स्वच्छ एवं शुद्ध पेयजल की समुचित व्यवस्था
10. प्रत्येक शाला में शौचालय की समुचित व्यवस्था
11. प्रत्येक शाला परिसर की नियमित साफ सफाई व स्वच्छता
12. सभी शाला भवनों में आवश्यक सुधार, मरम्मत व पुताई
13. शाला परिसर में वृक्षारोपण
14. प्रत्येक शाला में पर्यावरण क्लब का अनिवार्यतः गठन व इस क्लब की गतिविधियों का नियोजन
15. स्थापित ग्रामीण पुस्तकालयों से नवसाक्षरों को जोड़ना

(**laHkkfor foRrh; Lkzksr** & सर्वशिक्षा अभियान, नेशनल प्रोग्राम फार एजुकेशन आफ गर्ल्स एट एलीमेंटरी लेवल, शाला आकस्मिक निधि, सतत् शिक्षा मद)

efgyk ,oa cky fodkl foHkkx dh xfrfof/k;k

1- foHkkx dh Hkwfedk %

गोकुल ग्रामों में महिलाओं के सामाजिक विकास तथा उन्नयन हेतु कार्य करना एवं मात् तथा शिशु स्वास्थ्य हेतु आवश्यक कार्य करना।

2- foHkkx }kjk yh tk ldus okyh xfrfof/k;ka rFkk foRrh; lalk/ku ds Lkzksr %

1. आंगनवाड़ी केन्द्रों का सुचारू संचालन।
2. नियमित पूरक पोषण आहार उपलब्ध कराना।
3. महिलाओं के आर्थिक एवं सामाजिक विकास तथा उन्नयन हेतु विभागीय योजनाओं का सुनिश्चित संपादन।
4. सभी किशोरी बालिकाओं को लौह पूर्ति करने के लिए आयरन फोलिक एसिड की गोलियाँ आंगनवाड़ी के माध्यम से साप्ताहिक रूप से देना।
5. प्रयोग के रूप में सभी बच्चों को प्रत्येक 6 माह में डी–वर्मिंग का डोज आंगनवाड़ी के माध्यम से देना।

6. कुपोषण से बचाव के लिए गोकुल ग्राम में गरीबी रेखा से नीचे की सभी किशोरी बालिकाओं और 5 वर्ष के छोटे सभी बच्चों को पूरक पोषण आहार प्रदाय की व्यवस्था करना।

(**laHkkfor foRrh; Lkzksr** & विभागीय बजट)

vuqlwfpr tkfr dY;k.k foHkkx dh xfrfof/k;k

1- foHkkx dh Hkwfedk %

गोकुल ग्रामों में अनुसूचित जाति बाहुल्य बस्तियों/वार्डों में मूलभूत सुविधायें एवं अधोसंरचना विकास के कार्य करना

2- foHkkx }kjk yh tk ldus okyh xfrfof/k;ka rFkk foRrh; lalk/ku ds Lkzksr %

1. ऐसे गोकुल ग्राम या इनके मजरे/टोले जिनमें 50% या अधिक अनुसूचित जाति निवासरत हैं, उनमें निम्न गतिविधियां/कार्य प्राथमिकता के आधार पर लिये जा सकते हैं :–
   - i) पेयजल हेतु हेण्डपंप
   - ii) अनुसूचित जाति बस्तियों हेतु आंतरिक पहुंचमार्ग का निर्माण
   - iii) जल–मल निकासी हेतु पक्की नालियों का निर्माण
   - iv) अनुसूचित जाति बस्तियों के आंतरिक मार्गों पर रपटा/पुलिया का निर्माण
   - v) सामुदायिक शौचालय व्यवस्था
   - vi) सामुदायिक मंगल भवनों का निर्माण
   - vii) अनुसूचित जाति के छात्रावास/आश्रम भवनों हेतु पहुंच मार्ग एवं अतिरिक्त कक्ष का निर्माण
2. गोकुल ग्रामों की अनुसूचित जाति बाहुल्य बस्तियों में
   - i) अनुसूचित जाति बस्तियों/मजरे/टोलों में विद्युत लाईन का विस्तार
   - ii) एक बत्ती कनेक्शन/स्ट्रीट लाईट लाईन का विकास
   - iii) अनुसूचित जाति के कृषकों के पम्पों सुदृढ़ीकरण हेतु विद्युत लाईन का विस्तार

(**laHkkfor foRrh; Lkzksr** & विभागीय बजट)

vkfne tkfr dY;k.k foHkkx dh xfrfof/k;k

1- foHkkx dh Hkwfedk %

(1) शैक्षणिक गतिविधियों की समुचित व्यवस्था, प्रबंधन तथा वितरण ताकि आदिवासियों को शिक्षा के अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध कराये जा सकें।

(2) राज्य सरकार एवं भारत सरकार के सहयोग से संचालित विभिन्न विकास योजनाओं के अंतर्गत आदिवासी बाहुल्य ग्रामों में मूलभूत सुविधायें उपलब्ध कराना।

2- foHkkx }kjk yh tk ldus okyh xfrfof/k;ka rFkk foRrh; lalk/ku ds Lkzksr %

1- 'kS{kf.kd xfrfof/k;ka %&

- i) 5–14 आयु वर्ग के शाला जाने योग्य सभी बालक /बालिकाओं का शालाओं में प्रवेश
- ii) शालाओं में दर्ज विद्यार्थियों की नियमित उपस्थिति
- iii) बालिका शिक्षा हेतु विशेष ध्यान व इसके लिए अभिभावकों को प्रेषित करना

iv) पालक शिक्षक संघ का प्रशिक्षण एवं सौंपे गये दायित्वों के निर्वाहन के लिए सशक्त बनाना
v) कक्षा 5 वीं व 8 वीं के विद्यार्थियों का परीक्षा परिणाम 100 प्रतिशत सुनिश्चित करने हेतु नियोजन
vi) विद्यार्थियों के अनुपात के अनुसार शिक्षकों एवं कक्षों की व्यवस्था
vii) शालाओं में शिक्षकों की नियमित उपस्थिति
viii) प्रत्येक शाला में स्वच्छ एवं शुद्व पेयजल की व्यवस्था
ix) प्रत्येक शाला में शौचालय की समुचित व्यवस्था
x) प्रत्येक शाला परिसर की नियमित साफ सफाई व स्वच्छता
xi) सभी शाला भवनों में आवश्यक सुधार मरम्मत एवं पुताई
xii) शाला परिसरों में वृक्षारोपण
xiii) प्रत्येक शाला में पर्यावरण क्लब स्थापित करना

(**laHkkfor foRrh; Lkzksr** & सर्वशिक्षा अभियान, आदिवासी उपयोजना मद, शाला आकस्मिक निधि)

2-vkfFkZd fodkl dk;ZØe @vkfnoklh xzkeksa dk lexz fodkl %&

i) क्लस्टर आधारित आदिवासी बाहुल्य ग्रामों में भूमि सुधार, जलग्रहण क्षेत्र विकास, लघु सिंचाई, उद्यानिकी, लघु वनोपज आधारित गतिविधियाँ, औषधीय पौधों का रोपण, संरक्षण एवं प्रचार–प्रसार, हस्तशिल्प, हाथकरघा एवं आदिवासियों द्वारा उत्पादित वस्तुओं का मानकीकरण, मध्य प्रदेश आदिवासी वित्त एवं विकास निगम तथा ट्रायफेड के द्वारा स्वीकृत एवं लागू की जाने वाली योजनायें एवं ट्राइब्स, स्व सहायता समूहों के माध्यम से कार्य योजना तैयार कर आयमूलक गतिविधियों का क्रियान्वयन।

(**laHkkfor foRrh; Lkzksr** & विशेष केन्द्रीय सहायता /अनुच्छेद 275 (1) मद)

ii) आदिवासी क्षेत्र में डेयरी विकास परियोजना

(**laHkkfor foRrh; Lkzksr** & विशेष केन्द्रीय सहायता /अनुच्छेद 275 (1) मद)

iii) जनश्री बीमा योजना

(**laHkkfor foRrh; Lkzksr** & केन्द्रीय क्षेत्रीय योजना)

3 xzkeh.k fo|qrhdj.k %&

ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के मापदण्डों के अनुरूप गोकुल ग्रामों में निम्नानुसार योजनाओं का लाभ दिलाया जा सकता है :–

1. अनुसूचित जाति/ जनजाति कृषकों के कुओं तक विद्युत लाईन का विस्तार।
2. अनुसूचित जाति/जनजाति की बस्तियों में एक बत्ती कनेक्शन/स्ट्रट लाईट की व्यवस्था।
3. मजरे/ टोलों का विद्युतीकरण।

(**laHkkfor foRrh; Lkzksr** & अनुच्छेद 275(1) /आदिवासी उपयोजना)

lkekftd U;k; foHkkx dh xfrfof/k;ka

1- foHkkx dh Hkwfedk %

i) सामाजिक सहायता
ii) सुधारात्मक सेवाएं
iii) निःशक्त कल्याण
iv) सामाजिक जागरूकता

2- foHkkx }kjk yh tk ldus okyh xfrfof/k;ka rFkk foRrh; lalk/ku ds Lkzksr %

1. सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना/राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना
2. राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना
3. निशक्तजन छात्रवृत्ति वितरण
4. कृत्रिम अंगों का वितरण
5. निशक्तजन पुर्नवास
6. स्वरोजगार हेतु समन्वय
7. शिक्षण
8. बाधारहित आवागमन का निर्माण
9. किशोर अपराध की रोकथाम व ऐसे किशोरों के पुनर्वास के प्रयास।
10. कला पथक दलों का उपयोग कर लोक संगीत, लोक नृत्य व नाटकों के द्वारा विभिन्न सामाजिक कुरीतियों जैसे : अंधविश्वास, छुआ–छूत, दहेज प्रथा, बाल–विवाह, अशिक्षा को दूर करने मद्य–निषेध अपनाने और गोकुल ग्राम प्रकल्प से जुड़े हुए विभिन्न विभागों से ली जाने वाली गतिविधियों के संबंध में आवश्यक जानकारी जनमानस तक पहुचाना तथा जनचेतना जागृत करना।

(**laHkkfor foRrh; Lkzksr** & विभागीय बजट)

lgdkfjrk foHkkx dh xfrfof/k;ka

1- foHkkx dh Hkwfedk %

सहकारी संस्थाओं के सदस्यों को आवश्यक सेवायें व सुविधायें उपलब्ध कराना।

2- foHkkx }kjk yh tk ldus okyh xfrfof/k;ka rFkk foRrh; lalk/ku ds Lkzksr %

1. असदस्य किसानों को सेवा सहकारी समितियों का सदस्या बनाया जावे।
2. सेवा सहकारी संस्था के वर्तमान में सदस्यों को आकलित पात्रता अनुसार अधिकतम ऋण उपलब्ध कराना।
3. जिन सेवा सहकारी संस्थाओं के वर्तमान सदस्यों द्वारा अपनी संस्थाओं से ऋण नहीं लिया जा रहा है उनको ऋण लेने हेतु प्रेरित करना।
4. सेवा सहकारी संस्थाओं के माध्यम से किसानों को समुचित खाद, उन्नत बीज तथा आवश्यक कीटनाशक उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करना।
5. ऋण ग्रहिता सदस्य किसानों को उनके खाते की नकल देकर ली गई ऋण एवं ब्याज का नियमानुसार आकलन कर विवरण देना तथा ड्यू होने वाली वसूली की किश्त को प्राप्त करने की कार्यवाही सद्भावना के वातावरण में करना।

6. सेवा सहकारी समितियों के क्षेत्र अंतर्गत आने वाले समस्त किसानों को शत प्रतिशत किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधायें उपलब्ध कराना।
7. सेवा सहकारी समितियों के ऋणी सदस्यों के साथ ही साथ ही साथ अऋणी सदस्य एवं गैर सदस्यों को फसल बीमा योजना में सम्मिलित करने हेतु प्रेरित करना।
8. सेवा सहकारी समितियों द्वारा संचालित बचत बैंकों में गांव के सभी किसानों के खाते खोलने एवं बचत हेतु प्रोत्साहित करना।
9. जिला सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों की दीर्घकालीन ऋण योजनाओं के अंतर्गत फार्म सेक्टर में पात्रधारी किसानों को उनकी आवश्यकता के अनुरूप ऋण उपलब्ध कराना।
10. ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उत्पन्न करने के उद्देश्य से नानफार्म सेक्टर में छोटे ग्रामोद्योगों, कुटीर उद्योगों एवं अन्य व्यवसायिक उद्देश्यों के लिए पात्रतानुसार ऋण उपलब्ध कराना।
11. सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत संचालित उचित मूल्य की दुकानों में आवश्यक खाद्यान्न की उपलब्धि सुनिश्चित करना।
12. इन उचित मूल्य की दुकानों को समय समय खोलने की व्यवस्था सुनिश्चित करना।
13. इन उचित मूल्य की दुकानों में खाद्यान्न के भण्डारण हेतु गोदाम की व्यवस्था की जावे तथा केरोसीन तेल के लिए आवश्यक टेंकरों की व्यवस्था सुनिश्चित करना।
14. ग्रामीण क्षेत्रों में अन्य प्रकार की सहकारी संस्थाओं यथा दुग्ध, मत्स्य, सेरीकल्चर, बुनकर आदि संस्थाओं के गठन एवं विकास में आवश्यक सहायता उपलब्ध कराना।
15. प्रत्येक गोकुल ग्राम में प्राथमिक बीज उत्पादक सहकारी संस्था का गठन कर सदस्यों को उन्नत बीज उत्पादन, भण्डारण एवं विपणन में आवश्यक सहयोग तथा परामर्श उपलब्ध कराना।
16. ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित ग्राम सचिवालय में महत्वपूर्ण रूप से भागीदारी करते हुए सहकारी संमितियों के सदस्यों की विभिन्न समस्याओं का समयावधि में समाधान करना तथा उन्हें सहकारिता से उपलब्ध आवश्यक सेवायें एवं सुविधायें प्राप्त करने में सहयोग देना।

(**laHkkfor foRrh; Lkzksr** & सेवा सहकारी संस्थाओं को जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों/जिला सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों के माध्यम से उपलब्ध वित्तीय सहायता)

[kk|] ukxfjd vkiwfrZ ,oa miHkksDrk laj{k.k foHkkx dh xfrfof/k;ka

1- foHkkx dh Hkwfedk %

सार्वजनिक वितरण प्रणाली का सुचारू संचालन

2- foHkkx }kjk yh tk ldus okyh xfrfof/k;ka rFkk foRrh; lalk/ku ds Lkzksr %

1. उचित मूल्य की दुकानों का नियमित व सुचारू संचालन।
2. लक्षित ग्रामीणों को विभिन्न योजनाओं में प्रदाय किये जाने वाले खाद्यान्न एवं अन्य उपभोक्ता सामग्री का गुणवत्तापूर्ण व नियमित वितरण।
3. राशन कार्डों का समयबद्ध प्रदाय।
4. कृषि उपज–गेहूं/धान/मोटा अनाज/चना आदि के उपार्जन की समुचित व्यवस्था।
5. केरोसीन के तेल का समुचित वितरण।

(**laHkkfor foRrh; Lkzksr** & विभागीय बजट)

i'kqikyu foHkkx dh xfrfof/k;ka

1- foHkkx dh Hkwfedk %

पशुधन का विकास व स्वास्थ्य सेवायें उपलब्ध कराना।

2- foHkkx }kjk yh tk ldus okyh xfrfof/k;ka rFkk foRrh; lalk/ku ds Lkzksr %

1. पशुओ का स्वास्थ्य परीक्षण तथा यथोचित चिकित्सकीय परामर्श
2. गौ नस्लों का विकास तथा उनके सरंक्षण हेतु योजना
3. नस्ल सुधार
4. पोष्टिक चारे की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना एवं इस हेतु धास उत्पादन
5. चयनित ग्रमों को मिल्करूट से जोड़ना
6. सामुदायिक गोबर गैस संयत्र की स्थापना

(**laHkkfor foRrh; Lkzksr** & विभागीय बजट, एस्काड/राष्ट्रीय गौ–भैंस वंशीय परियोजना)

eRL; ikyu foHkkx dh xfrfof/k;ka

1- foHkkx dh Hkwfedk %

मत्स्य पालन को बढ़ावा देना व इस हेतु आवश्यक सुविधायें उपलब्ध कराना।

2- foHkkx }kjk yh tk ldus okyh xfrfof/k;ka rFkk foRrh; lalk/ku ds Lkzksr %

1. चयनित ग्रामों में जल स्त्रोतों का सर्वेक्षण एवं पुनरूद्धार
2. उन्नत प्रजातियों के मत्स्यबीज का संचयन
3. मत्स्य पालन/मस्थ्याखेट का प्रशिक्षण
4. मत्स्य सहकारी समितियों/समूहों/एकल हितग्राहियों को अनुदान
5. मत्स्य विपणन व्यवस्था

(**laHkkfor foRrh; Lkzksr** & विभागीय बजट तथा मत्स्य कृषक विकास अभिकरण योजना)

jktLo foHkkx dh xfrfof/k;ka

1. कृषकों द्वारा पांच साला खसरे की नकल मांगे जाने पर उन्हें तत्काल उपलब्ध कराने की अनिवार्य व्यवस्थाः–
2. भूमि सीमांकन शुल्क जमा होने के पश्चात सीमांकन सुनिश्चित करना :–
3. ग्राम पंचायतों की सीमा के अनुरूप पटवारी हल्कों का पुनःनिर्धारण :–
4. स्थायी सीमा चिन्हों का निर्धारण तथा रख रखाव :–
5. शासकीय भूमि का सीमांकन :–
6.. मौके के अनुरूप नक्शों का अद्यतीकरण किया जाना :–
7. बी–1 का अद्यतीकरण करना :–

ou foHkkx dh xfrfof/k;ka

1. शाला परिसर में वृक्षारोपण
2. खेतों की मेड़ों, आवासीय परिसरों, सामुदायिक एवं शासकीय भूमि विशेषकर पड़त भूमि पर वृक्षारोपण।
3. भू–अभिलेखों का सुव्यवस्थित संधारण।
4. वन ग्रामों का विकास

mPp f'k{kk foHkkx dh xfrfof/k;ka

xksdqy xzkeksa esa jk"Vªh; lsok ;kstuk ds f'kfojksa esa fuEu xfrfof/k;ksa dk lapkyu %

f'k{kk %

1. 5 से 14 आयु वर्ग के शाला जाने योग्य सभी बालक/बालिकाओं के शालाओं में प्रवेश के लिए प्रयास
2. विद्यार्थियों को शालाओं में नियमित रूप से उपस्थित होने के लिए प्रेरणा एवं समझाईश देना
3. बालिका शिक्षा हेतु अभिभावकों को प्रेरित करना
4. पालक शिक्षक संघ को सौंपे गये दायित्वों के निर्वहन के संबंध में समझाईश देना
5. शाला परिसर में वृक्षारोपण

LokLF; %

1. गर्भवती महिलाओं को पोषण आहार, टीकाकरण, स्वच्छता तथा प्रसव के पूर्व की आवश्यक तैयारियों के विविध पहलुओं के संबंध में समझाईश
2. स्तनपान कराने वाली माताओं को स्वयं तथा नवजात शिशु के पोषण आहार, स्वच्छता, देखभाल तथा स्वास्थ्य संबंधी विविध पहलुओं के संबंध में समझाईश देना
3. गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं तथा जवजात शिशुओं का नियमित स्वास्थ्य परीक्षण विशेषकर गर्भवती महिलाओं का कम से कम 3 बार और आवश्यकतानुसार उचित चिकित्सकीय परामर्श प्राप्त करने का परामर्श देना
4. परिवार नियोजन के संबंध में समझाईश देना
5. किशोरी बालिकाओं को स्वास्थ्य एवं पोषण आहार के संबंध में समझाईश देना

ty laj{k.k o lao/kZu %

1. नये तालाबों, बावड़ियों तथा कुओं तथा नलकूपों का निर्माण
2. जल के पारम्परिक स्त्रोतों का संरक्षण व संवर्धन विशेषकर पुराने तालाबों, बावड़ियों तथा कुओं का संरक्षण व जीर्णोद्धार
3. नालों पर सतही जल संग्रहण के लिए चेक डेम/बोरी बंधान/नाला बंधान का निर्माण
4. किसानों को स्वयं के खेत में जल संरक्षण व संवर्धन की गतिविधियों के लिए प्रेरित करना
5. शासकीय एवं सामुदायिक भूमि पर कंटूर ट्रेंच आदि सुधार कार्य
6. भूजल संवर्धन हेतु परकोलेशन तालाब, कुआं रिचार्ज आदि गतिविधियां
7. खेतों में बारिश के पानी को रोकने के लिए कुइया/कुण्डी, डबरा/डबरी/फार्म पॉण्ड, कुआं रिचार्ज आदि गतिविधियां
8. सामुदायिक जल संग्रहण संरचनाओं से पानी के वितरण की समुचित व्यवस्था के संबंध में समझाईश देना
9. पानी के समुचित उपयोग के बारे में जैसे टपक सिंचाई पद्धति का प्रचार प्रसार

LoPNrk %

1. कुओं पर चबूतरों/प्लेटफार्म का निर्माण तथा पानी निकासी की समुचित व्यवस्था

2. गांव में पानी निकासी के लिए ''यू'' या ''व्ही'' आकार की नालियों का निर्माण
3. गांव में पॉलीथीन के उपयोग न करने की समझाईश देना (इस हेतु शाला स्तर पर गठित किये गये पर्यावरण क्लब के साथ प्रचार प्रसार किया जाना चाहिए)
4. आवासीय परिसरों के आस–पास तथा सड़कों पर बहने वाले गंदे पानी के निपटारे के लिए सोक पिट (सोख्ता गड्डा) का निर्माण
5. शासकीय तथा सामुदायिक भवनों की साफ सफाई व इनके परिसर में वृक्षारोपण
6. ग्रामीणों को स्वच्छ शौचालय के निर्माण हेतु प्रोत्साहित करना
7. ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल के उपयोग के संबंध में समझाईश देना

d`f"k %

1. गांव के कचड़े व अन्य अपशिष्ट से नाडेप टांका निर्माण/बायो गैस संयंत्र निर्माण (इस हेतु कृषि विभाग द्वारा तकनीकी सलाह एवं विस्तार का कार्य किया जाता है)
2. औषधीय पौधों की खेती को प्रोत्साहन
3. जैविक खेती के संबंध में कृषकों को प्रोत्साहित करना

i;kZoj.k ,oa o`{kkjksi.k %

1. ईंधन की बचत एवं वनों पर दवाब को कम करने के लिए सोलर कुकर के उपयोग को प्रोत्साहित करना
2. शासकीय एवं सामुदायिक भूमि पर वृक्षारोपण विशेषकर उद्यानिकी प्रजाति के एवं जलाऊ लकड़ी
3. धुआंरहित चूल्हों के उपयोग हेतु प्रोत्साहन

xzkeks|ksx foHkkx dh xfrfof/k;ka

1. ऐसे गोकुल ग्राम जहां परम्परागत रूप से हथकरघा, वस्त्र बुनाई एवं हस्तशिल्प कार्य होता है, वहां हितग्राहियों के प्रशिक्षण, उन्नत उपकरण प्रदाय, डिजाईन विकास व विपणन की गतिविधियों के लिए सहायता
2. परम्परागत उद्योग जैसे लुहारी, सुतारी, कुम्हारी एवं चर्मकारी आदि के विकास के लिए खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की परिवारमूलक इकाई स्थापना योजना व स्वरोजगार हेतु खादी आयोग की मार्जिन मनी योजना में सहायता
3. रेशम गतिविधियों के थ्रस्ट जिलों जैसे होशंगाबाद, नरसिंहपुर, मण्डला, बालाघाट, राजगढ़ एवं विदिशा के गोकुल ग्रामों में मलबरी स्वालंबन योजना, टसर रेशम विकास एवं विस्तार कार्यक्रम का लाभ दिलवाना

mtkZ foHkkx dh xfrfof/k;ka

1- foHkkx dh Hkwfedk %

बिजली की समुचित व्यवस्था

2- foHkkx }kjk yh tk ldus okyh xfrfof/k;ka rFkk foRrh; lalk/ku ds Lkzksr %

1. आदिवासी उपयोजना/विशेष घटक योजना में शामिल गोकुल ग्रामों में अविद्युतीकृत मजरों/टोलों का विद्युतीकरण तथा अनुसूचित जाति/जनजाति के हितग्राहियों के लंबित पम्प कनेक्शन व एकबत्ती कनेक्शन के आवेदनों पर त्वरित कार्यवाही

2. अविद्युतीकृत एवं कार्य योग्य गोकुल ग्राम जो प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना अथवा न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम में शामिल हैं, उसमें विद्युतीकरण
3. विद्युतीकृत गोकुल ग्राम में विद्युतीकरण की नई परिभाषा अनुसार आवश्यक कार्यवाही
4. जले/खराब ट्रांसफार्मर निर्धारित समय सीमा में बदलना
5. गैर परम्परागत उर्जा स्रोतों से विद्युतीकरण करने हेतु आवश्यक कार्यवाही
6. बायोगैस संयंत्र की स्थापना

lkekU; iz'kklu foHkkx dh xfrfof/k;ka

i) जन समस्या निवारण शिविर का आयोजन

xksdqy xzkeksa esa xksnku ;kstuk

- गोदान योजना के अंतर्गत गरीबी रे,खा से नीचे जीवन यापन करने वाले चयनित हितग्राही परिवारों की महिला को 3 गायों की लघु डेयरी इकाई प्रदान की जाएगी।
- ऐसे गोकुल ग्रामों को प्राथमिकता पर चयनित किया जाना है, जो एम.पी.स्टेट कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन व इससे संबद्ध दुग्ध संघों के दुग्ध संकलन मार्गों पर स्थित हैं अथवा जिन ग्रामों से एम. पी. स्टेट कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन नियमित दुग्ध संकलन की व्यवस्था सुनिश्चित कर सकता है एवं पशुओं के लिए चारे, पीने के लिए पानी की उपलब्धता सुनिश्चित हो सकती है।
- प्रदाय की जाने वाली लघु डेयरी इकाई हेतु इकाई लागत का निर्धारण प्रत्येक जिले द्वारा अपने स्तर पर नाबार्ड द्वारा निर्धारित इकाई लागत, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना एवं अन्य योजनाओं के तहत निर्धारित की गई इकाई लागत (Unit Cost) के आधार पर किया जावेगा।
- इकाई लागत के निर्धारण के उपरांत ही प्रत्येक हितग्राही को लघु डेयरी इकाई के प्रदाय के लिए आकलित कुल लागत की पूर्ति राज्य शासन एवं शासकीय योजनाओं से अनुदान तथा बैंकों से ऋण उपलब्ध कराकर की जावेगी।
- उपयुक्त पाये गये हितग्राही परिवारों को लघु डेयरी इकाई हेतु कुल लागत में से रू. 10,000 (सामान्य वर्ग) तथा रू. 15,000 (अनुसूचित जाति/जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग) की राशि का अनुदान दिया जाएगा।
- कतिपय शासकीय योजनायें ऐसी भी हैं, जिनमें डेयरी व्यवसाय के लिए कुल लागत का 50%–100% राशि अनुदान के रूप में प्रदान की जाती है। उदाहरणस्वरूप आदिम जाति कल्याण विभाग की आदिवासी डेयरी विकास परियोजना तथा ग्रामीण विकास विभाग की डी.पी.आई.पी. योजना आदि आदि। अतः ऐसे जिले जहां यह व अन्य तत्सम योजनायें क्रियान्वित हो रही हैं, उन जिलों में इन योजनाओं के अंतर्गत शामिल गोकुल ग्रामों में गोदान योजना के अंतर्गत हितग्राही परिवारों को लघु डेयरी इकाई हेतु पूर्वोक्त उल्लेखित अनुदान से अधिक अनुदान भी दिया जा सकता है तथा बैंक से उपलब्ध कराये जाने वाले ऋण की मात्रा कम की जा सकती है।
- हितग्राही परिवार का ऋण प्रकरण बैंक से अनुमोदित होने के उपरांत उसे उचित नस्ल की गाय, निश्चित अवधि हेतु पशु आहार, पशु प्रबंधन प्रशिक्षण आदि की व्यवस्था कर निर्दिष्ट पशु इकाई प्रदाय की जायेगी। यह लक्षित हितग्राही परिवार का निर्णय होगा कि वह किस नस्ल की इकाई चाहता है। पशुओं का प्रदाय मध्यप्रदेश पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम द्वारा किया जावेगा, जो यह सुनिश्चित करेगा कि अच्छी गाय उपलब्ध कराई जा रही है।
- पशुपालन विभाग द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रदाय किये गये पशुओं को आवश्यकतानुसार सभी पशु चिकित्सा सेवायें तथा सुविधायें, हितग्राही परिवारों को तकनीकी परामर्श एवं मार्गदर्शन भी उपलब्ध कराया जा रहा है।
- डेयरी इकाईयों के सफल क्रियान्वयन के लिए पशुओं हेतु पीने के पानी तथा पर्याप्त चारे की समुचित व्यवस्था होना आवश्यक है।
- चारे की व्यवस्था हेतु हितग्राही परिवार को निजी भूमि पर चारा उत्पादन के लिए प्रेरित किया जाए। इस हेतु पशुपालन विभाग द्वारा चारा विकास कार्यक्रम अन्तर्गत मिनीकिट्स का प्रदाय शत्–प्रतिशत अनुदान पर किया जाता है, जिसका लाभ हितग्राही परिवारों को दिलाया जाए।
- यदि गांव में चरनोई भूमि उपलब्ध है तो ग्राम पंचायत से प्रस्ताव अनुमोदित कराकर इस भूमि पर चारा उत्पादन किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त सामुदायिक/शासकीय पड़त भूमि भी चारा उत्पादन के लिए उपयोग में लायी जा सकती है। शासकीय/सामुदायिक भूमि पर चारा उत्पादन

के लिए उपयोगकर्ता समूह भी गठित कर क्रियाशील बनाया जाए। इस उपयोगकर्ता समूह में समस्त हितग्राही परिवारों के सदस्य शामिल होंगे। चारा उत्पादन के उपरांत इसके वितरण की प्रक्रिया समूह के सदस्यों द्वारा तय की जाएगी। शासकीय एवं सामुदायिक भूमि पर उत्पादित चारे को खुली चराई से बचाया जाना चाहिये। शासकीय एवं सामुदायिक भूमि पर उत्पादित चारे की सुरक्षा के लिए सी.सी.टी./सी.पी.टी. भी बनाई जा सकती है। शासकीय/सामुदायिक भूमि पर चारा उत्पादन के लिए वित्तीय संसाधन संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना से उपलब्ध हो सकते हैं।

- चारा उत्पादन के साथ साथ स्टॉल फीडींग को प्रोत्साहित करने के विशेष प्रयास किये जावे। हितग्राही परिवारों को यह समझाईश दी जाए कि वे स्टॉल फीडींग के दौरान पशुओं को चारे के साथ पौष्टिक तत्व भी मिलाकर दें, ताकि पर्याप्त दुग्ध उत्पादन सुनिश्चित हो सके।
- प्रत्येक हितग्राही परिवार द्वारा उत्पादित किये जाने वाले दुग्ध के विपणन की समुचित व्यवस्था मध्यप्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन द्वारा की जायेगी। यह भी सुनिश्चित किया जावेगा कि हितग्राही परिवार द्वारा उत्पादित दुध का मध्यप्रदेश स्टेट डेयरी फेडरेशन/इनसे संबंधित दुग्ध संघों के कार्य क्षेत्र में गठित/कार्यरत समितियों द्वारा दैनिक संकलन किया जा रहा है तथा प्रदाय दुध का प्रतिदिन नियमित भुगतान किया जा रहा है।

xksdqy xzkeksa esa ^^xksdqy ou**

1- i`"BHkwfe %&

वृक्षों से अनेक प्रकार के बहुमूल्य एवं जीवन उपयोगी उत्पादों की प्राप्ति होती हैं, परन्तु इसके साथ ही स्वस्थ पर्यावरण, मिट्टी व पानी जैसे प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण व संवर्धन एवं संतुलित पारिस्थितिकी बनाये रखने में भी वृक्षों का महत्वपूर्ण योगदान रहता है।

गोकुल ग्राम प्रकल्प का उद्देश्य स्वच्छ ग्रामीण परिवेश में मूलभूत सुविधाओं व आधारभूत अधोसंरचना की समुचित व परिणाममूलक व्यवस्था करना है, ताकि ग्रामीणों को सामाजिक व आर्थिक विकास की प्रक्रिया को सुदृढ़ आधार प्रदान कर इन ग्रामों को विकसित किया जा सके।

अतः स्वस्थ पर्यावरण और संतुलित पारिस्थितिकी बनाये रखने में वृक्षों के योगदान के दृष्टिगत और गोकुल ग्राम प्रकल्प के निहित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए गोकुल ग्रामों में उपयुक्त स्थानों पर वृक्षारोपण कर ''गोकुल वन'' विकसित किया जाना है। इस प्रकार विकसित गोकुल वन स्थानीय ग्रामीणों में पर्यावरण संरक्षण/स्वच्छता के प्रति जागरूकता पैदा करने में भी सहायक होना चाहिए। संक्षेप में गोकुल वन केवल कतिपय वृक्षों का जंगल नहीं होगा, अपितु बहुउद्देश्यीय बाग/बगिया का प्रतिरूप होगा।

2- {ks= p;u %&

प्रत्येक गोकुल ग्राम में गोकुल वन के विकास हेतु कम से कम 10 हेक्टेयर क्षेत्र का चयन किया जाना है। गांव में वृक्षारोपण की ग्राह्यता व आवश्यकतानुसार अधिक क्षेत्र का भी चयन किया जा सकता है। यह क्षेत्र एक स्थान (Compact Area) पर न होकर सुलभ उपलब्धता के अनुसार अलग अलग स्थानों पर भी हो सकता है। गोकुल वनों के विकास के लिए गांव के निम्न क्षेत्रों को प्राथमिकता पर लिया जाये :–

1. शासकीय/सामुदायिक खाली जमीन (विशेषकर पड़ती भूमि)
2. वृक्षरहित वनभूमि/निम्न कोटी की वन भूमि
3. तटाग्रों, तालाब व फार्म पॉण्ड के परिप्रदेश
4. शासकीय व सामुदायिक भवन जैसे पंचायत भवन, पाठशाला आदि के परिसर
5. सड़कों/पगडंडियों के किनारे

3- iztkfr p;u %&

सामान्यतः वृक्षारोपण के लिए वृक्ष प्रजातियों का चयन उद्देश्य के आधार पर किया जाता है। जैसा कि गोकुल ग्रामों में गोकुल वनों का विकास स्वस्थ पर्यावरण व संतुलित पारिस्थितिकी के लिए किया जाना है, अतः किसी एक प्रजाति के वृक्ष की बजाय मिश्रित प्रजाति के वृक्षों का चयन करना होगा। इस हेतु फलदार, ईंधन, औषधीय, छायादार तथा पर्यावरण में सुधार, फूल और मिट्टी व जल संरक्षण एवं संवर्धन में सहयोगी प्रजाति के वृक्षों को चयनित किया जा सकता है। विभिन्न प्रजाति के वृक्षों की संक्षेपिका अनुलग्नक – 1 पर संलग्न है।

गोकुल वन में किये जाने वाले वृक्षारोपण की सफलता के लिए उपरोक्तानुसार प्रजातियों का चयन क्षेत्र विशेष की मिट्टी की सामथ्य व गुणों, सिंचाई सुविधा, कृषि – जलवायु, मौसम संबंधी परिस्थितियों आदि कारकों को ध्यान में रखते हुए किया जाये। उदाहरणस्वरूप पड़त भूमि पर ऐसी

प्रजातियों के वृक्षों को लगाया जाये, जो नाइट्रोजन फिक्सिंग में सहायक हो। प्रजातियों के चयन के समय वृक्षों के विकसित होने के उपरांत Horizontal Dimension, Vertical Dimension तथा Temporal Dimension का भी ध्यान रखा जाये, ताकि किसी एक प्रजाति के वृक्ष का विकास दूसरी प्रजाति के विकास में बाधक न बने।

वृक्षारोपण की सफलता में लगाये गये वृक्षों के बढ़ने व इनसे लाभ प्राप्त होने की अवधि तथा समाज की सहभागिता महत्वपूर्ण कारक होते हैं। अतः गोकुल वन के विकास हेतु ऐसी प्रजातियों के वृक्षों को प्राथमिकता दी जाये :–

- जिन्हें पैदा करने में सरलता हो तथा जो तेजी से बढ़ते (Fast Growing) हों
- जिनके बीज अथवा पौध आसानी से उपलब्ध हो जाये/आसानी से रोपणी में तैयार की जा सके ।
- जिनके विकसित होने के बाद ग्रामीण समाज को आर्थिक लाभ भी मिल सके
- जिनका रोपण व विकास तकनीकी रूप से Viable हो

4- {ks= dh rS;kjh o jksi.k %&

गोकुल वनों के विकास के लिए क्षेत्र चयन के उपरांत रोपण से पूर्व क्षेत्र की तैयारी जैसे भूमि की सफाई, जुताई, सिंचाई की व्यवस्था, पानी के निकास के प्रबंध, भूमि की तैयारी (पौधा लगाने की पद्धति का निर्धारण, प्रति हेक्टेयर पौधों की संख्या का आकलन, पौधों का अंतराल, पौधों की दिशा, गड्ढों का आकार, गड्ढों का उपचार आदि) आदि कार्य करना होगा। इस कार्य में विषय विशेषज्ञों का मार्गदर्शन व सुझाव लिया जाए।

क्षेत्र की तैयारी होने के उपरांत रोपण का कार्य उपयुक्त मौसम तथा समय का ध्यान रखते हुए किया जाये। रोपण के लिए पौध रोपण अथवा सीधे बीज द्वारा रोपण जो भी उपयुक्त हो, अपनाया जा सकता है। पौध रोपण की विधि अपनाते समय यह ध्यान रहे कि केवल स्वस्थ एवं उचित ऊँचाई के पौधे ही रोपित किये जाये। बीज रोपण की विधि अपनाते समय गुणवत्तापूर्ण बीज का उपयोग किया जाना चाहिए।

पौध रोपण की विधि अपनाने पर चयनित प्रजाति के वृक्षों की पौध की व्यवस्था वन विभाग या उद्यानिकी विभाग के सहयोग से अथवा ग्राम में स्वावलंबन दलों के द्वारा नर्सरी विकसित कर की जा सकती है।

गोकुल वनों में पौध/बीज रोपण का कार्य शालेय विद्यार्थियों अथवा राष्ट्रीय स्वयं सेवा के शिविर आयोजित कर महाविद्यालयीन विद्यार्थियों के माध्यम से उनकी स्वेच्छा अनुसार कराना श्रेयस्कर होगा। रोपण के कार्य में ग्रामीणों की सहभागिता भी ली जानी चाहिए, ताकि आगे आने वाले समय में उनके मन में लगाये गये पौधों की सुरक्षा के प्रति भावना कायम हो सके।

5- pkjk mRiknu %&

गोकुल वन के विकास हेतु चयनित क्षेत्रों में से ऐसे क्षेत्र जहां भूमि का Compact Block उपलब्ध है, वहां रोपित किये जाने वाले वृक्षों के साथ उपयुक्त प्रजाति के बीज का उपयोग कर चारा उत्पादन भी किया जा सकता है, जो गांव के पशुओं के लिए चारा आपूर्ति हेतु सहायक होगा।

गोकुल वन में वृक्षारोपण के साथ चारा उत्पादन का कार्य लेते समय यह ध्यान रखा जाए कि इसके कारण वृक्षों की वृद्धि बाधित न हो। इसके अतिरिक्त उसी प्रजाति के चारा बीज उपयोग किये जाएं जो क्षेत्र की कृषि जलवायु के अनुरूप हों।

6- j[k j[kko o lqj{kk %&

यहां यह उल्लेख करना आवश्यक है कि गोकुल वन का विकास केवल पौधों के रोपण तक ही सीमित नहीं होना चाहिए। लगाये गये पौधों का समुचित विकास हो और गोकुल वन वास्तविकता में अस्तित्व में आ सकें, इस हेतु रोपण के पश्चात पौधों के रख रखाव के लिए निदाई एवं मृदा गुड़ाई, रोपित पौधों की कटाई व छटाई, उर्वरक व खाद की आपूर्ति, कीट पंतगों से सुरक्षा/दीमक से बचाव/रोगों से रक्षा, सिंचाई तथा पौधों की सुरक्षा के लिए यथोचित व्यवस्था की जाना चाहिए।
गोकुल वनों में लगाये गये पौधों की सुरक्षा हेतु निम्न उपाय अपनाये जा सकते हैं :–

1. चारों ओर जीवित पौधों की या कटीली झाड़ियों की बागड़ जैसे सीसल, खैर, देशी बबूल, रतनजोत, मेहंदी आदि
2. पत्थर की दीवाल अथवा ट्रेंच

गोकुल वनों की सुरक्षा के लिए उक्त के अतिरिक्त खुली चराई पर भी प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए, जिसके लिए ग्राम पंचायत स्थानीय स्तर पर आम सहमति से निर्णय ले सकती है।

7- lg;ksx o ekxZn'kZu %&

गोकुल ग्रामों में गोकुल वन के विकास की प्रक्रिया में प्रजाति चयन, क्षेत्र की तैयारी, रोपण व रख रखाव के संबंध में वन विभाग, उद्यानिकी विभाग तथा कृषि विभाग के विषय विशेषज्ञों का सहयोग व मार्गदर्शन लिया जाये। गोकुल ग्रामों में वृक्षारोपण के कार्य में सहयोग व नियोजन हेतु वन विभाग, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल के आदेश क्र.2123/2005/10–2 दिनांक 14.6.2005 द्वारा समस्त वन संरक्षक व समस्त वन मण्डलाधिकारियों को निर्देश जारी किये गये हैं। इन निर्देशों की प्रति जिला कलेक्टरों को भी पृष्ठांकित की गई है।

8- foRrh; fu;kstu %&

गोकुल वन के विकास के लिए विभिन्न आदानों की पूर्ति हेतु निम्न स्रोतों से प्रावधानों अनुसार वित्तीय नियोजन किया जा सकता है :–

1. संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना
2. आदिम जाति कल्याण विभाग की योजनायें
3. कृषि विभाग की योजनायें
4. वन विभाग की योजनायें
5. ग्राम पंचायतों के मूलभूत मद की राशि

9- mRrjnkf;Ro %&

प्रत्येक गोकुल ग्राम में गोकुल वन के विकास हेतु आयोजना व क्रियान्वयन का दायित्व गोकुल परियोजना दल का होगा।

प्रजातियों के चयन का निर्णय ग्राम सभा की सहमति से किया जाना उपयुक्त होगा। इसके अतिरक्त रोपण उपरांत रख रखाव व सुरक्षा का दायित्व ग्राम पंचायत द्वारा वहन किया जाना श्रेयस्कर होगा। वृक्षारोपण से प्राप्त होने वाले उत्पाद के उपयोग का निर्णय ग्राम सभा द्वारा लिया जायेगा।
शासकीय खाली जमीन पर किये जाने वाले वृक्षारोपण की स्थिति में मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 239 के अनुसार व्यक्ति/व्यक्तियों के समूह के द्वारा आवश्यक नियोजन पर भी विचार किया जा सकता है।

vuqyXud & 1

b±/ku
बबूल, आंवला, सुबबूल, सिरस, अगस्त, नीम, करंज, अंजन, केजुरिना आदि।

bekjrh ydM+h
सागौन, खमेर, सेन्हा, अर्जुन, सिरस, शीशम, कर्रा, बांस आदि

Qynkj
शहतूत, बेर, आम, कटहल, आंवला, जामुन, सीताफल, अमरूद, नींबू, महूआ, इमली आदि।

O;kikfjd mRiknu gsrq
बांस, अगस्त, सहजन, महारूख, शहतूत, साजा, अर्जुन, नीम, करंज, महुआ, सहजन, खैर, खम्हार, गुलाब, गेंदा आदि

Nk;knkj rFkk i;kZoj.k lq/kkj
नीम, बरगद, आम, पीपल, मौलश्री, गूलर, कपोक, करंज, गुलमोहर, कदम्ब, कचनार, टिकोमा, महारूख, महोगनी, बेल, कटहल, अमलतास, अशोक, आदि

Hkwfe ,oa ty laj{k.k
बांस, विलायती बबूल, बेर, विभिन्न प्रकार की घासें, खैर, महारूख, सीसल, केजुरीना, नीम, सिरस, अमरूद आदि

vkS"k/kh;
हर्र, बहेड़ा, आंवला, बेल, वन तुलसी, सफेद मूसली, अश्वगंधा, सतावर, सर्पगंधा, चिरायता, मरोड़फली, चरोटा, कुसुम, तिखुर

अधिकारियों व कर्मचारियों की सूची

1. श्री प्रदीप भार्गव, विकास आयुक्त एवं प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
2. श्री वसीम अख्तर, अपर विकास आयुक्त एवं सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
3. श्री विवेक दवे, उपायुक्त, विकास आयुक्त कार्यालय
4. श्रीमती अनीता वात्सल्य, शोध अधिकारी, विकास आयुक्त कार्यालय